



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/2025-26/74

विवि.एमसीएस.आरईसी.47/01.01.028/2025-26

14 अगस्त 2025

सभी बैंक

सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)

सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान

सभी साख सूचना कंपनियाँ

सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता/प्रणाली भागीदार

सभी विदेशी मुद्रा विनिमय हेतु प्राधिकृत व्यक्ति

प्रज्ञा प्रसून एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट.याचिका.(सी) 289/2024) और अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट.याचिका.(सी) 49/2025) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 30 अप्रैल 2025 के आदेश का अनुपालन

विनियमित संस्थाओं का ध्यान प्रज्ञा प्रसून एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट.याचिका.(सी) 289/2024) और अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट.याचिका.(सी) 49/2025) के मामले में [माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 30 अप्रैल 2025 के आदेश](#) की ओर आकृष्ट किया जाता है। सभी विनियमित संस्थाएँ उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, जैसा लागू हो, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करें।

(वीणा श्रीवास्तव)

मुख्य महाप्रबंधक

विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं और 13वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001

टेलीफोन /Tel No: 22601000 फैक्स/ Fax No: 022-2270 5670, 2260 5671, 5691 2270, 2260 5692

Department of Regulation, Central Office, 12th & 13th Floor, Central Office Building, Shaheed Bhagat Singh Marg, Mumbai – 400001

Tel No: 91-22-22601000/ 22820710

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.